सार-समाचार

छबड़ा के दो बी.एल.ओ. सम्मानित

छबड़ा (निसं)। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 में उल्लेखनीय कार्य करने पर जिला निर्वाचन अधिकारी रोहिताश्व सिंह तोमर द्वारा जिला स्तर पर छबड़ा विधानसभा के दो बीएलओ का सम्मान किया। भाग संख्या 45 में तो 95.50 प्रतिशत कार्य पूरा किया जा चुका है, जो पूरे जिले में प्रथम स्थान पर है। एसडीएम रामसिंह गुर्जर ने बताया कि भाग संख्या 45 के बीएलओ परमानन्द लोधा (अध्यापक) राजकीय प्राथमिक विद्यालय गांगटी एवं भाग संख्या 94 के बीएलओ बाबूलाल मीणा (अध्यापक) राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दीगोद जागीर को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। गौरतलब है कि वर्तमान में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 जारी है, जिसमें भाग संख्या 45 में 95.50 प्रतिशत कार्य पूरा किया जा चुका है, जो पूरे जिले में प्रथम स्थान पर है। इसी प्रकार भाग संख्या 94 में भी लगभग 80 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। बीएलओ ने बताया कि यह कार्य पूर्ण सरल एवं मतदाता सूचियों को शुद्ध एवं पारदर्शी करने के लिए है। जिसमें सभी मतदाता यदि सहयोग करें ताकि समय पूर्व ही पूरा किया जा सकता है। सभी मतदाता अपने नवीनतम फोटो तैयार रखें एवं पूर्व विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम-2002 की सूचना तैयार रखें, जिसे बीएलओ के आने पर तुरन्त उसे उपलब्ध करवाए जिससे आपका गणना प्रपत्र समय पर अपलोड हो सके।

स्टार्टअप के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी

कोटा, (निसं)। राजकीय महाविद्यालय, कोटा की बौद्धिक सम्पदा अधिकार प्रकोष्ठ एवं नवाचार प्रकोष्ठ के तत्वावधान में आईपीआर की वेल्यू ऐडेड कोर्स के अन्तर्गत मंगलवार को आई स्टार्ट ककोटा के मेन्टोर कौस्तुब भट्टाचार्य ने मुख्य वक्ता के रुप में प्रशिक्षण देते हुये प्रतिभागियों को स्टार्टअप के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी तथा किस प्रकार सरकारी सहयोग से अपना स्वयं का स्टार्ट अप प्रारम्भ करें तथा अपने स्टार्ट की विभिन्न आईपी अधिकार को सुरक्षित रखते हुये आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि आज के युवाओं को रोजगार प्रदात्ता बनना चाहिऐं। कार्यक्रम के प्रारम्भ में पाठ्यक्रम संयोजक डॉ.नीरजा श्रीवास्तव ने विद्यार्थियों को नवाचार करने हेतु प्रेरित करते हुये अपने नवाचार को कानूनी रुप से सुरक्षित करने हेतु बौद्धिक सम्पादा अधिकार के विभिन्न प्रकारों को स्पष्ट करते हुये कोर्स के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में प्रकोष्ठ प्रभारी प्रो. नीलकमल राठौर ने सभी का स्वागत करते हुये विद्यार्थियों को प्रतिदिन होने वाली गतिविधिययों के माध्यम से आगे बढ़ने हेतु प्रेरित किया। कार्यक्रम का संचालन डॉ.नरेश कुमार नायक द्वारा किया गया एवं आईस्टार्ट संयोजक योगेश कुमार का विशिष्ट सहयोग रहा।

'गणना प्रपत्र भरने के लिए प्रोत्साहित करें'

छबड़ा (निसं)। पंचायत समिति के सभागार में मंगलवार को विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 के संदर्भ में ग्राम पंचायत प्रशासक (सरपंच), ग्राम विकास अधिकारी, कनिष्ठ सहायक, पंचायतीराज कार्मिकों की बैठक सम्पन्न हुई। यहां निर्वाचक पंजीयन अधिकारी रामसिंह गुर्जर, समर्पित सहायक निर्वाचक पंजीयन अधिकारी अभिषेक मीणा मौजूद थे। निर्वाचक पंजीयन अधिकारी ने बताया कि देशभर में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 जारी है, जिसमें बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर गणना प्रपत्र का वितरण किया जा रहा है। जिसमें बीएलओ नवीनतम फोटो लगाकर देंगे, जिसे बीएलओ ऑनलाइन करेगा। साथ ही इस प्रक्रिया को मतदाता स्वयं भी कर सकता है। इस हेतु समस्त ग्राम विकास अधिकारियों को निर्देश प्रदान किए गए कि आप सभी मतदाताओं को संबंधित वेबसाइट के माध्यम से स्वयं का गणना प्रपत्र भरने हेतु प्रोत्साहित करें एवं उनका उचित सहयोग कर अधिक से अधिक मतदाताओं का गणना प्रपत्र ऑनलाइन करवाए। साथ ही सभी प्रशासक से भी सभी ग्रामीणों को जागरूक कर अधिक से अधिक मतदाताओं द्वारा स्वयं का गणना प्रपत्र भरने के लिए आग्रह किया। वर्तमान में बीएलओ द्वारा घर पर गणना प्रपत्र के समय नवीनतम फोटो की आवश्यकता होती है। इसलिए ग्राम पंचायतों में सभी मतदाताओं को फोटो तैयार करने एवं बीएलओ का सहयोग करने की भी अपील की।

रेणुका नदी में दिखे मगरमच्छ से भय

छबड़ा (निसं)। नीमथुर मन्दिर के समीप रेणुका नदी में पिछले तीन-चार दिन से घूम रहे मगरमच्छ ने स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। नदी में पानी का बहाव न होने के कारण यह मगरमच्छ एड्रियान बालाजी मंदिर और दादाबाड़ी के बीच लगातार देखा जा रहा है। ग्रामीणों ने वन विभाग से समय रहते मगरमच्छ का रेस्क्यू किए जाने की मांग की। महावीर सुमन व संजय नामदेव ने बताया कि नदी किनारे बसे नीमथुर और आसपास के वार्डों के लोग रोजाना नहाने, पानी भरने और अन्य दैनिक कार्यों के लिए यहां आते हैं। इसी क्षेत्र में स्थित नीमथुर मंदिर पर हर दिन बड़ी संख्या में दर्शनार्थी बच्चों के साथ पहुंचते हैं। पार्क में खेलते बच्चों और नदी किनारे आने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर भी अब चिंता बढ़ गई है। ग्रामीणों का कहना है कि भोजन की कमी के कारण यह मगरमच्छ रात के समय बस्ती की ओर भी आ सकता है, जिससे किसी अप्रिय घटना की आशंका बनी हुई है। स्थानीय लोगों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर वन विभाग के माध्यम से मगरमच्छ का तुरंत रेस्क्यू करवाने की मांग की है।

सड़क सुरक्षा कमेटी की बैठक आयोजित

छबड़ा (निसं)। एसडीएम रामसिंह गुर्जर की अध्यक्षता में मंगलवार को उपखण्ड स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कमेटी के सदस्य उपस्थित रहे। यहां एसडीएम द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वही, फ्लाई एश वाहनों को सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव सडक सुरक्षा समिति ने पास कर जिला कलेक्टर को भिजवाया दिया है। एसडीएम गुर्जर ने बताया कि कस्बे में मुख्य सड़क धरनावदा चौराहा से आजाद सर्किल, अंहिसा सर्किल से होते हुए अंबेडकर सर्किल का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। इस संबंध में पुलिस विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगरपालिका को आपस में समन्वय कर निर्माण कार्य के दौरान अतिक्रमण हटाने, यातायात व्यवस्था व सड़क पर बैरिकेटिंग, बैरियर लगाकर आवागमन सुनिश्चित करने, जन स्वा. अभियांत्रिकी विभाग छबड़ा को टूटी हुई पाईप लाइनों को दुरुस्त करवाने एवं बिजली विभाग को झूलते हुए बिजली के तारों को ठीक करने व टूटे हुए पॉल को अन्यत्र शिफ्ट करने आदि के मामले में निर्देशित किया। पुलिस विभाग को धरनावदा चौराहा पर ट्रेफिक नियंत्रण के लिए पर्याप्त पुलिस जाप्ता लगाने के भी निर्देश दिए।

शिविर आयोजित

छबड़ा (निसं)। सामाजिक सरोकार और मानव सेवा के संकल्प के साथ द इनोसेंट्स क्लब सोसाइटी द्वारा संचालित हर घर मदद अभियान का तीसरा सेवा शिविर जोशी कॉलोनी क्षेत्र में सफलता पूर्वक आयोजित किया गया। सोसाइटी के अध्यक्ष एडवोकेट हस्सान ख़ान ने बताया कि आयोजित शिविर में मुख्य अतिथि हाफ़िज़ आसिफ उपस्थित रहे। कैंप का संचालन प्रभारी इस्लाम पप्पू और सह-प्रभारी मोहम्मद अन्नू ने किया। जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता रफीक मोहम्मद ने की। सेवा शिविर में सेक्रेट्री शाकिर ख़ान, मोहम्मद इकरार, सलाम मिस्त्री, शाकिर चौंवलखेडी, वसीम और समीर पठान सहित कई सक्रिय सदस्य शामिल रहे। उन्होंने घर-घर जाकर और शिविर स्थल पर लोगों की सहायता की। अभियान के तहत आगामी सेवा शिविर 19 नवंबर बुधवार को प्रेमजी होटल के पीछे क्षेत्र में सुबह 10 बजे से सायं 5 बजे तक आयोजित किया जाएगा।

कोटा-सिरसा एक्सप्रेस का मार्ग परिवर्तन

कोटा, (निसं)। कोटा से सिरसा जाने वाली गाड़ी संख्या 19813 कोटा-सिरसा एक्सप्रेस दिनांक 04.12.2025, 06.12.2025 और 08.12.2025 को बीकानेर मंडल के दुधवा खारा स्टेशन (चूरू-सादुलपुर खण्ड) पर ट्रैफिक ब्लॉक के कारण अपने निर्धारित मार्ग के बजाय परिवर्तित मार्ग वाया सिकर-लुहारू-सादुलपुर होकर संचालित होगी। परिवर्तित मार्ग में इस रेलसेवा को नवलगढ़, डूँडलोड मुकुंदगढ़, झुंझुनू, चिड़ावा, सूरजगढ़ और लुहारू स्टेशनों पर ठहराव दिए जाएँगे।

पीएम किसान उत्सव दिवस आज

बूंदी (निसं)। पी.एम. किसान उत्सव दिवस कार्यक्रम में बुधवार 19 नवंबर को डीबीटी के माध्यम से पात्र कृषकों के बैंक खातों में पीएम किसान योजना की 21वीं किश्त का हस्तांतरण किया जाएगा। कार्यक्रम का प्रसारण जिला, ब्लॉक, तहसील व ग्राम पंचायत स्तर पर लाइव वेबकास्ट के माध्यम से किया जाएगा। जिलास्तरीय कार्यक्रम बुधवार को दोपहर 1.15 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित होगा।

श्रीलंका के मरीज को कोटा में मिला सफल उपचार, सिरदर्द से पूर्ण राहत मिली

कोटा, (निसं।) दस वर्षों से राइनोजेनिक हेडेक जैसी दुर्लभ समस्या से जूझ रहे श्रीलंका के निवासी ज्ञान कविशका को अंततः कोटा में राहत मिली हैं। अनेक देशों में उपचार के बाद भी समाधान न मिल पाने पर उन्होंने कोटा के महावीर जैन ईएनटी हॉस्पिटल के ईएनटी विशेषज्ञ डॉ.विनीत जैन से संपर्क किया।

ज्ञान कविशका ने बताया कि वे लंबे समय से इस समस्या से पीड़ित थे। 2018 में कोलंबो में सर्जरी कराई, पर कोई लाभ नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने दुबई और अमेरिका में भी परामर्श लिया, परन्तु उच्च सेप्टल डेविएशन के कारण होने वाले इस विशेष प्रकार के सिरदर्द का समाधान कहीं नहीं मिल पाया। हालत इतनी बिगड़ गई थी कि उन्हें एंटीडिप्रेसेंट दवाओं पर भी रखा गया। लगातार संपर्क और विस्तृत चर्चा के बाद उन्हें विश्वास हुआ कि डॉ.विनीत जैन उनकी समस्या का सही निदान कर सकते हैं। जांच रिपोर्टें देखने के बाद डॉ.जैन ने उनकी नाक की संरचना में एक अत्यंत दुर्लभ विकृति की पुष्टि की, जो सिरदर्द का मुख्य कारण थी। कोटा पहुंचने पर डॉ. जैन ने एंडोस्कोपिक तकनीक से दो घंटे की जटिल सर्जरी कर कविशका का उपचार किया।

■ महावीर ईएनटी कोटा के डॉ. विनीत जैन ने दुर्लभ नाक रोग का उपचार किया

कोटा महावीर ईएनटी के डॉ. विनीत जैन ने श्रीलंका के मरीज का दुर्लभ नाक रोग का सफल उपचार कर उसे सिरदर्द से पूर्ण राहत दिलाई है।

लगभग दस दिन तक अस्पताल में निगरानी में रखने के बाद उन्हें पूर्णतः स्वस्थ पाया गया।

अब उनका वर्षों पुराना सिरदर्द समाप्त हो चुका है और वे उन सभी दवाईयों से मुक्त हैं, जिन्हें वे एक दशक से ले रहे थे। ज्ञान कविशका ने कोटा में अपने उपचार को "जीवन बदल देने वाला अनुभव" बताते हुए कहा कि वे डॉ. विनीत जैन के अत्यंत आभारी हैं। स्वस्थ होने के बाद उन्होंने कोटा के चंबल रिवर फ्रंट का भी अवलोकन किया और कोटा शहर की चिकित्सा सुविधाओं की सराहना की। दुबई में कार्यरत कविशका अब संतुष्टि के साथ श्रीलंका वापस लौट गए। अंतरराष्ट्रीय स्तर के इस सफल उपचार ने कोटा को एक बार फिर चिकित्सा सेवाओं में अपनी विशेष पहचान दिलाई है।

कुलगुरु प्रो. चौधरी ने विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया

कोटा, (निसं)। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में कुलगुरु प्रो.निमित चौधरी ने विश्वविद्यालय की उत्तरोत्तर प्रगति-शैक्षणिक उन्नयन, गुणवत्ता सुधार एवं नैक, एनआईआरएफ, एनबीए रैंकिंग के निर्धारण को लेकर विश्वविद्यालय के सभी शैक्षणिक एवं प्रशासनिक विभागों सहित मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन व कंट्रोल, रिन्यूएबल एनर्जी यूनिट विभिन्न विभागों का निरीक्षण कर शिक्षकों एवं कर्मचारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित कर उनसे संवाद किया।

आरटीयू के सह जनसम्पर्क अधिकारी विक्रम राठौड़ ने बताया कि कुलगुरु प्रो.चौधरी ने निरीक्षण के दौरान संचालित विभागीय गतिविधियों, संसाधनों की उपलब्धता, प्रयोगशालाओं की कार्यशीलता और शैक्षणिक वातावरण अवलोकन किया।

उन्होंने रैंकिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन सुनिश्चित करने हेतु विभागाध्यक्षों को आवश्यक निर्देश दिये। सभी विभागों से मजबूत दस्तावेजीकरण, शोध-अनुसंधान कार्य, लैब उपकरणों का अधिकतम उपयोग, विद्यार्थियों की उपलब्धियों और नवाचार परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर भी जोर दिया। कुलगुरु प्रो.चौधरी ने विश्वविद्यालय की विगत वर्षों से बंद प्रयोगशालाओं और कक्ष पुनः खोलने खोलने और उपयोग में लाने के निर्देश दिए ताकि छात्रों को बेहतर व्यावहारिक सुविधाएं मिल सकें। उन्होंने संबंधित विभागों से उपकरणों की स्थिति का आकलन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के भी निर्देश प्रदान किए। एस्टेट कार्यालय को निर्देश प्रदान करते हुए कहा गया कि वह छात्रों के कक्षाओं, फैकल्टी कक्षों, विभागीय भवनों और अन्य संरचनाओं के रखरखाव के लिए विस्तृत प्रस्ताव तैयार करे। विश्वविद्यालय के संसाधनों का अधिकतम और प्रभावी उपयोग तथा उपलब्ध स्थानों का अनुकूल उपयोग करके शैक्षणिक गतिविधियों को और अधिक सुचारू बनाने के उद्देश्य से रिसोर्सेज यूटिलाईजेशन समिति और स्पेस रेशियोलाईजेशन समिति का गठन भी किया गया हैं। कुलगुरु प्रो.चौधरी ने कहा कि तकनीकी शिक्षा की नामांकन वृद्धि, गुणवत्ता सुधार एवं उच्च शिक्षा के उन्नयन हेतु हम सभी को मज़बूत भागीदारी का निर्वहन करना होगा।

सांसदों की बैठक कल

कोटा, (निसं)। पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल परिक्षेत्र में आगामी 20 नवम्बर को सांसदों की समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। यह बैठक शहर के होटल उम्मेद भवन में सम्पन्न होगी। बैठक में कोटा मंडल परिक्षेत्र से संबंधित कुल 11 लोकसभा क्षेत्रों के सांसदों को आमंत्रित किया गया है। इस बैठक का उद्देश्य विभिन्न रेल परियोजनाओं की प्रगति पर संवाद स्थापित करना है।

शिक्षक द्वारा आत्महत्या से सरकार के खिलाफ शिक्षक,कर्मचारियों में आक्रोश

कोटा, (निसं)। बीएलओं का कार्य कर रहे शिक्षक मुकेश चन्द जांगिड़ द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा उत्पन्न किये गए तनावपूर्ण एवं डरावने हालात से मजबूर होकर की गई आत्महत्या पर अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने गहरा दुःख और शोक प्रकट किया है। साथ ही सरकार तथा उच्च प्रशासनिक अधिकारियों की क्रूरता और अमानवीय संवेदनहीनता की कठोर निंदा की है।

संगठन के जिलाध्यक्ष बहादुर सिंह गांधी ने संस्थागत हत्यारी मुहिम के शिकार दिवंगत मुकेश चन्द जांगिड़ को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि ना केवल मुकेश चन्द का परिवार बल्कि संपूर्ण शिक्षक समुदाय और कर्मचारी भी शोकाकुल है, बेहद दुख, पीड़ा और अवसाद में है।

महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सत्येंद्र मीणा ने कहा कि यह आत्महत्या नही है बल्कि निष्ठुर, संवेदनहीन और अमानवीय प्रशासनिक मशीनरी व ब्यूरोक्रेसी द्वारा की गई संस्थागत हत्या है। जिस तरह से एसआईआर के कार्य में लगे हुए बीएलओ तथा सहायक कार्मिकों को प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा डराया धमकाया जा रहा है, उन्हें आतंकित किया जा रहा है, जिसके चलते सैकड़ों कार्मिक भारी मानसिक तनाव और वेदना में है। ऐसे ही असहज, असामान्य तथा डरावने हालात ने हमारे साथी मुकेश चन्द जांगिड़ को आत्महत्या जैसा अप्राकृतिक, प्रतिगामी व डरावना कदम उठाने के लिए विवश कर दिया।

बीएलओ शिक्षक की आत्महत्या पर शिक्षकों ने विरोध जताया।

जिला मंत्री अशोक लोदवाल ने बताया कि प्रदेशव्यापी आव्हान पर ड्यूटी समय में कोटा जिले के महासंघ से सम्बद्ध कर्मचारियों ने शोक स्वरूप काला वस्त्र अथवा काली पट्टी धारण कर विरोध दर्ज कराया तथा दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

सहकार सप्ताह पर सेमिनार आयोजित

कोटा, (निसं)। कोटा जिला सहकारी संघ लिमिटेड द्वारा 14 नवंबर से 20 नवंबर तक मनाए जा रहे सहकार सप्ताह के तहत सहकार भवन में एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार का विषय ष्राष्ट्रीय सहकारी नीति पारिस्थितिकी तंत्र, भारत की सहकारी समितियों के संरचित रोडमैप था। इस सेमीनार मे लगभग 70 से अधिक सहकार सदस्यों की भागीदारी रही। सेमीनार की अध्यक्षता बलविंदर सिंह, अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितिया कोटा ने की तथा मुख्य अतिथि महेंद्र खंडेलवाल अध्यक्ष कोटा जिला सहकारी संघ कोटा थे। इस अवसर पर अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितिया कोटा बलविंदर सिंह ने कहा कि सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण को साकार करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सहकारी नीति-2025 की शुरुआत की है। 24 जुलाई 2025 को अनावरण की गई राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए छह प्रमुख स्तंभों, 16 उद्देश्यों और 82 ठोस कार्य योजनाओं पर आधारित है। 63,000 सक्रिय प्राथमिक कृषि ऋण समितियां के डिजिटलीकरण के लिए एक केंद्र प्रायोजित परियोजना स्वीकृत की गई है, ताकि वित्तीय पारदर्शिता और परिचालन दक्षता बढ़ाई जा सकें। इसके साथ ही प्राथमिक कृषि ऋण समितियां को बहुउद्देशीय आर्थिक संस्थाओं के रूप में सशक्त किया जा रहा है।

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता हैं कि अग्रवल सम्पति मकान संख्या 457 का पूर्व की ओर का एक भाग, स्थित वल्लभबाड़ी रोड, गुमानपुरा, कोटा, जिसका क्षेत्रफल 715.94 वर्गफीट है, जो बिना हक छत के है। जिसके ग्राउण्ड फ्लोर व प्रथम फ्लोर पर मकान निर्मित है, जिसका निर्मित क्षेत्रफल 722 वर्गफीट है। मूल सम्पति मकान संख्या 457, कुल पैमाईश 920 वर्गफीट है। उक्त सम्पति को गुलाब सिंह ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 01.02.1954 द्वारा पंडित श्याम सुन्दर शर्मा से क्रय की। इसी मकान संख्या 457 के साथ लगी हुई भूमि, पैमाईश 610.82 वर्गफीट को गुलाब सिंह ने सिटी इम्प्रूवमेन्ट कोटा से खरीद कर सिटी इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट से प्रमाण पत्र मिसल नम्बर 231, निर्गत संख्या सीटी 761 एम 54 दिनांक 28.05.1954 प्राप्त किया। इसी मकान संख्या 457 के साथ लगी आगे की भूमि, पैमाईश 274 वर्गफीट को गुलाब सिंह ने सिटी इम्प्रूवमेन्ट कोटा से क्रय कर सिटी इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट से मिसल नम्बर निर्गत संख्या सीटी 300/एम 54 दिनांक 23.07.1958 प्राप्त किया। गुलाब सिंह ने उक्त सम्पूर्ण भूमि कुल पैमाईश 1804.82 वर्गफीट का नगर परिषद से दिनांक 12.11.1968 को नामपरिवर्त स्वीकृत करवाया। गुलाब सिंह ने उक्त सम्पति, सम्पूर्ण की वसीयत दिनांक 17.05.1984 को अपने पुत्र ओम प्रकाश के हित में निष्पादित कर दी। ओम प्रकाश ने उक्त सम्पति के बाबत अपनी पत्नी श्रीमती देवकरण कंवर राणावत को अपना मुख्तयारआम नियुक्त कर दिया। श्रीमती देवेरकरण कंवर जरिये मुख्तयारआम ओम प्रकाश ने उक्त सम्पति मकान संख्या 457 का पूर्व की ओर का एक भाग, बिना हक छत के, जिसके ग्राउण्ड फ्लोर व प्रथम फ्लोर पर मकान निर्मित है, जिसका निर्मित क्षेत्रफल 722 वर्गफीट है, को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27.12.2011 द्वारा नाराण दास को विक्रय कर दिया। इस प्रकार नाराण दास उक्त सम्पति मकान संख्या 457 का पूर्व की ओर का एक भाग, बिना हक छत के, जिसके ग्राउण्ड फ्लोर व प्रथम फ्लोर पर मकान निर्मित है, जिसका निर्मित क्षेत्रफल 722 वर्गफीट है, सम्पूर्ण के एकमात्र मालिक, स्थामी, काबिज अधिकारी हुये। अब नाराण दास उक्त सम्पति, सम्पूर्ण पर मेरी अभिभाष्य वित्तीय संस्था Yes Bank से ऋण ले रहे है, सर्वसाधारण को उक्त सम्पति के विधिक वारिसान, मालिकाना हक, स्थामित्व, कब्जे, अधिकार पर कोई आपति हो तो सात दिवस में लिखित में मय दस्तावेज सूचित करें अन्यथा आपति शून्य, अप्रभावी व अमान्य समझी जावेगी।

दिनांक: 18.11.2025 ऋषिकेश महर्षि, एडवोकेट 82, एवरेस्ट विहार, किन्सल रोड, निर्माण नगर, जयपुर

कार्यालय तहसीलदार (भू-अभि.) तहसील लाड़पुरा, जिला कोटा
क्रमांक : भू.-अभि./2025/376 दिनांक : 12.11.2025
-:: आम सूचना ::-
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि न्यायालय तहसीलदार लाड़पुरा में मृतक भैरूलाल पुत्र श्री मोड़्या उर्फ मोडूलाल उर्फ मोडू जाति माली निवासी ग्राम कीचलहेड़ा, तहसील लाड़पुरा, जिला कोटा हाल निवासी 217, केशवपुरा सेक्टर-6, कोटा की आराजी तहसील लाड़पुरा के पटवार मण्डल दीपपुरा के ग्राम दीपपुरा के खाता संख्या 4 के खसरा संख्या 624 रकबा 0.88 है., 632 रकबा 1.23 है., 676 रकबा 0.77 है. कुल किता 3 रकबा 2.88 है. तथा पटवार मण्डल बनियानी के ग्राम कीतलहेड़ा खाता संख्या 59 के खसरा संख्या 40 रकबा 0.30 है. में नोटेरी वसीयतनामा अनुसार अपने भतीजे (1) सौरभ सुमन पुत्र स्व. श्री नन्दलाल सुमन जाति माली निवासी मकान नम्बर 217, सेक्टर-6 केशवपुरा, कोटा राज. के नाम नामान्तरकरण दर्ज करवाने हेतु राजस्थान भू-राजस्वत अधिनियम 1956 की धारा 135(2) के अन्तर्गत प्रकरण जरकार है, यदि भैरूलाल पुत्र श्री मोड़्या उर्फ मोडूलाल उर्फ मोडू जाति माली निवासी ग्राम कीचलहेड़ा, तहसील लाड़पुरा जिला कोटा हाल निवासी 217, केशवपुरा सेक्टर-6, कोटा के वसीयत के संबंध में किसी को कोई साक्ष्य या आपत्ति पेश करना हो तो स्वयं उपस्थित होकर आगामी 7 दिवस तक पेश कर सकते है, अन्यथा प्रकरण का निस्तारण वसीयत अनुसार कर दिया जायेगा। तहसीलदार (भू.-अभि.), तहसील लाड़पुरा, कोटा

आम सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री पावनेश शर्मा पुत्र श्री ओमप्रकाश शर्मा, निवासी 53, आदर्श विद्यालय मार्ग, हिल न्यू कॉलोनी, छबड़ा, जिला बारां (राज.) द्वारा मकान नं.०एमपीबी-79, महावीर नगर प्रथम, कोटा राज., को खरीदने बाबत् करार श्री कृष्ण गोपाल यादव पुत्र श्री बृजराज सिंह यादव, निवासी रो हाउस-4, मयूरेश्वर साई निसर्ग पार्क, नियर गणेशराम सोसायटी, फेज-1, पिम्पल सोदागर, पुणे, महाराष्ट्र से किया हुआ है।
यह कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा मकान नं. एमपीबी-79, महावीर नगर प्रथम, कोटा राज. के संबंध में विक्रेता की पत्नी श्रीमती शकुन्तला यादव के पक्ष में परपीच्युअल लीज डीड एवं कन्वेन्स डीड का निष्पादन किया गया, जिसका पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय कोटा में दिनांक 15.04.1998 को हो रहा है। तत्पश्चात् विक्रेता की पत्नी श्रीमती शकुन्तला यादव का देहान्त दिनांक 15.06.2002 को हो जाने के पश्चात् उक्त मकान का नियमानुसार उनके विधिक वारिसान द्वारा विक्रेता के पक्ष दिनांक 20.03.2024 को एक हक त्याग पत्र आलेखित किया, जिसका पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय, कोटा में पुस्तक सं. 1, जिल्द सं. 1800, कम सं. 202403123104795, पृष्ठ सं. 195 पर दिनांक 20.03.2024 को हो रहा है। तत्पश्चात् नगर निगम, कोटा द्वारा उक्त मकान का नाम हस्तांतरण जरिये कार्यालय आदेश क्रमांक 82085 दिनांक 02.05.2024 के द्वारा किया गया है। तब से ही विक्रेता उक्त मकान का मालिक व काबिज चले आ रहे है।
अतः हर आम व खास व वित्तीय संस्था को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त मकान नं. एमपीबी-79, महावीर नगर प्रथम, कोटा राज.० को श्री कृष्ण गोपाल यादव के द्वारा विक्रय किये जाने के संबंध में किसी भी प्रकार की आपत्ति हो तो मय दस्तावेज प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस की अवधि में मेरे समक्ष लिखित आपत्ति मय दस्तावेज प्रस्तुत करें, बाद गुजरने मियाद सूचना कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
कोटा
दिनांक 18.11.25
राजेन्द्र मंगल एडवोकेट
मकान नंबर 322 महावीर नगर द्वितीय, कोटा राज.
मोबाईल नं. : 94148-02953

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी नगर पालिका रावतभाटा, जिला – चित्तौडगढ(राज.)
क्रमांक / नपारा / भूमि / 2025–26 / 2998 दिनांक :– 14.11.2025
लोक–सूचना
(नियम 6(7) अन्तर्गत)
आवदेक श्री संदीप कुमार शर्मा पिता श्री प्रभूलाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी रावतभाटा तहसील रावतभाटा जिला चित्तौडगढ (राज0) की खातेदारी भूमि के खातेदार ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन (वाणिज्यिक) के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारो के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात :–

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नं.	रकबा (क्षेत्र)
तहसील रावतभाटा जिला–चित्तौड़गढ़,	राजस्व ग्राम झालरबावडी पटवार हल्का झालरबावडी	324 / 125	0.1100 हैक्टेयर या 1100 वर्गमीटर

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है, कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 90–क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम–1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारो के निर्वापन पर कोई आक्षेप है, तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर–भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।
उपर्युक्त नियत समय के भीतर–भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा, कि किसी को आक्षेप नहीं है, और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।
यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 14.11.2025 को जारी की गई हैं।
प्राधिकृत अधिकारी (अधिशाषी अधिकारी)
राज.संवाद / सी / 25 / 14032

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी नगर पालिका रावतभाटा, जिला – चित्तौडगढ(राज.)
क्रमांक / नपारा / भूमि / 2025–26 / 3002 दिनांक :– 14.11.2025
लोक–सूचना
(नियम 6(7) अन्तर्गत)
आवदेक श्री मनोज शर्मा पिता श्री सोहनलाल जाति सुथार निवासी रावतभाटा तहसील रावतभाटा जिला चित्तौडगढ (राज0) की खातेदारी भूमि के खातेदार ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन (वाणिज्यिक) के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारो के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात :–

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नं.	रकबा (क्षेत्र)
तहसील रावतभाटा जिला–चित्तौड़गढ़,	राजस्व ग्राम झालरबावडी पटवार हल्का झालरबावडी	341 / 155	0.0162 हैक्टेयर या 1620 वर्गमीटर

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है, कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 90–क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम–1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारो के निर्वापन पर कोई आक्षेप है, तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर–भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।
उपर्युक्त नियत समय के भीतर–भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा, कि किसी को आक्षेप नहीं है, और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।
यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 14.11.2025 को जारी की गई हैं।
प्राधिकृत अधिकारी (अधिशाषी अधिकारी)
राज.संवाद / सी / 25 / 14031

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा
क्रमांकः-एफ11/विक्रय/2025/1491 दिनांकः-17.11.2025
नाम हस्तान्तरण बाबत आम सूचना
कार्यालय कोटा विकास प्राधि